

विकलांगता के रिक्त पदों के बैकलाग को विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, में श्रवण बाधित विकलांगजन की भर्ती हेतु निम्न पदों पर पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 30.01.2013 समय सायं 6.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद का नाम, शैक्षिक योग्यता एवं रिक्तियों की संख्या आदि का विवरण निम्नवत् है-

क्र सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	आयु	वेतनमान	पदों की संख्या	विकलांग-जन की श्रेणी	पद की श्रेणी
1.	लेखालिपिक	वाणिज्य में स्नातक	18-35 वर्ष	वेतन बैण्ड- 1 रु० 5200-20200/- ग्रेडवेतन रु० 2000/-	01	श्रवण बाधित	अनारक्षित

1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2012 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहियें परन्तु शासनादेश संख्या-18/1/2008-(11) का -2 दिनांक 03.02.2008 के अनुसार विकलांगजन को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी को आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी। 4. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित एवं छटनीशुदा कर्मचारी है और उसने खेलकूद में भाग लिया है तो उक्त क्रम में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। 5. आवेदन पत्र के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण पत्र एवं अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। 6. ऐसे अभ्यर्थी, जो कम से कम 40% विकलांगता से ग्रस्त हों, ही उक्त चयन हेतु अर्ह होंगे तथा उनको आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर राज्य सरकार द्वारा विधिवत् चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित विकलांगता श्रेणी के विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 7. उक्त चयन उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के बाहर) समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में विहित सीधी भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। 8. उपरोक्त पदों पर कम्प्यूटर कार्य में दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। 9. आवेदन पत्र निर्धारित तिथि दिनांक 30.01.2013 सायं: 6.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं निर्धारित अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। 10. पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 11. परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय/भत्ता देय नहीं होगा। 12. निगम के प्रबन्ध निदेशक को किसी भी आवेदन को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। 13. परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी नियमानुसार उपयुक्त समझी जायेगी। 14. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से भेजें। आवेदन पत्र किसी अन्य माध्यम से कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर टंकित कराकर भेजें। 15. केवल श्रवण बाधित विकलांगजन अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०

विकलांगता के रिक्त पदों के बैकलाग को विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्राप्ति संख्या.....दिनांक.....

आवेदन पत्र की संवीक्षा का विवरण (स्वीकृत/निरस्त).....

आवेदन पत्र निरस्तीकरण का आधार.....

जाँचकर्ता (1).....(2).....(3).....

1. आवेदन पद का नाम- लेखालिपिक

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम-
(अ) हिन्दी में.....
(ब) अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में).....

3. पिता/पति का नाम.....

4. जन्मतिथि
(अ) जन्मतिथि (अंकों में).....(शब्दों में).....
(ब) दिनांक 01.07.2012 को आयु-.....वर्ष.....माह.....दिन.....

5. पता-
(अ) पत्र व्यवहार का पता.....
(ब) स्थायी पता.....

6. राष्ट्रीयता.....

7. (क) आरक्षण श्रेणी.....(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)

8. शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी योग्यता-

नवीनतम फोटो
राजपत्रित अधिकारी
से प्रमाणित

क्र सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

9. अन्य विशिष्ट योग्यता का विवरण (यदि कोई हो)-

10. यदि कोई अनुभव हो तो उसका विवरण-

11. क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

12. क्या आपने खेलकूद में भाग लिया है, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

13. क्या आपने छँटनीशुदा कर्मचारी हैं, यदि हाँ तो उसका विस्तृत उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र संलग्न करें।

14. अभ्यर्थी जो कम से कम 40 प्रतिशत श्रवण बाधित विकलांगता ग्रस्त हों, के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता श्रेणी के विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

15. अनिवार्य अर्हतायें, आयु, शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका) एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करें एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप से संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि-

1. मैंने विज्ञापित पात्रता/अर्हता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी है व मैं समस्त शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। 2. इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है। मैंने इस विवरण/सूचनाओं में से कोई तथ्य छिपाया नहीं है और न ही कोई गलत तथ्य दिया है। 3. यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाय या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाय। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।